



P-ISSN: 2706-7483

E-ISSN: 2706-7491

IJGGE 2021; 3(2): 155-157

Received: 17-07-2021

Accepted: 19-09-2021

**डॉ. शेषमणि विश्वकर्मा**

सह्यक प्रोफेसर., भूगोल सी.जी.  
एन.(पी.जी.) कॉलेज, गोला  
गोकर्णनाथ, खीरी, उत्तर प्रदेश,  
भारत

**महाराजगंज जनपद (उ०प्र०) में अकृष्य भूमि का वितरण प्रतिरूप****डॉ. शेषमणि विश्वकर्मा****सारांश**

महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश के तराई भाग में नेपाल से सटे स्थित है। अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ वृहद् स्तर पर गेहूँ, धान एवं गन्ना की खेती की जाती है। विगत कुछ वर्षों से अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत भूमि में घास हुई है, जिसका प्रमुख कारण अकृष्य भूमि में वृद्धि होना है। अकृष्य भूमि वह भूमि होती है, जहाँ कृषक चाह करके भी खेती नहीं कर सकता है। अधिवास, सड़क, जलाशय, नहर, आदि अकृष्य भूमि के अन्तर्गत आते हैं। अकृष्य भूमि में वृद्धि होने का प्रमुख कारण— तीव्र गती से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि का होना है। मकान, सड़क, ईट-भट्टा, स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण से क्षेत्र में कृषिगत भूमि में घास एवं अकृष्य भूमि में वृद्धि हुई है। अकृष्य भूमि में वृद्धि का सीधा सम्बन्ध विकासात्मक कार्यों से होता है। अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण का स्तर बहुत कम है, जैसे-जैसे नगरीकरण में वृद्धि होती जायेगी, अकृष्य भूमि बढ़ती जायेगी।

**सांकेतिक शब्द:** औद्योगिकरण, नगरीकरण, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि

**प्रस्तावना**

अकृष्य भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जिस भूमि पर कृषक चाह करके भी कृषि कार्य नहीं कर सकता है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला— वह भूमि जो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में आ रही है। इस भूमि का प्रयोग नहरों, सड़कों, रेलों, कारखानों, नगरों व अन्य बस्तियों के विकास के रूप में हो रहा है। इस भूमि का क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरा— वह भूमि जो बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि है। इस भूमि का विस्तार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इस भूमि का प्रयोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों में किया जा रहा है (बंसल, सुरेश चन्द्र, भारत का वृहत् भूगोल, 2012)<sup>3</sup>। भूमि उपयोग का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भू-दृश्यावलियां (निवास स्थान, परिवहन के साधन, उद्योग, बाजार एवं सांस्कृतिक संस्थान) विकास करती हैं। अकृष्य भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधानों, नवीन कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, अभिनव तकनीकी, ज्ञानों एवं अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभप्रदायी कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत न लाया जा सके (Lilawati, 2001, pp.84-85)<sup>1</sup>। इसके अन्तर्गत उन भू-भागों को भी रखा गया है, जो भूमि मृदा के दृष्टिकोण से उपजाऊ होते हुए भी कृषि के लिये उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार का भू-क्षेत्र अनिवार्य रूप से मानव कल्याण अथवा विकास के अन्तर्गत पाया जाता है। ऐसी भूमि स्थायी रूप से कृषि के लिये अनुपलब्ध रहती है, अथवा कृषि कार्य हेतु इसको प्रयोग में नहीं लायी जाती है। अकृष्य भूमि के अन्तर्गत दो तरह की भूमि सम्मिलित है—(अ) अधिवास, परिवहन मार्ग, नहर, खदान, आदि कृष्येत्तर कार्यों में लगी भूमि (ब) पर्वत, मरुस्थल, दलदल, बीहड़, आदि के रूप में कृषि अयोग्य भूमि (तिवारी, आर०सी०, एवं सिंह, बी.एन. 2010)<sup>2</sup>।

प्रस्तुत शोध पत्र में अकृष्य भूमि के अन्तर्गत ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि को सम्मिलित किया गया है। ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत पर्वत, मरुस्थल, दलदल, बीहड़ आदि को सम्मिलित किया गया है, जबकी कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि के अन्तर्गत अधिवास, परिवहन, नहर आदि को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अकृष्य भूमि में समान्यतया वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि से अधिवासों, सड़कों तथा अन्य संस्थानों के अन्तर्गत भूमि उपयोग से अकृष्य क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह वृद्धि की अवस्था में है, जो भूमि उपयोग गत्यात्मकता की चौथी अवस्था का प्रतीक है, (विश्वकर्मा, एस०एम०, 2019 पृ०-120-122)<sup>5</sup>। अध्ययन क्षेत्र में कुल प्रतिवर्षित क्षेत्र के 1142 प्रतिशत भाग पर अकृष्य भूमि पायी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में अकृष्य भूमि का प्रतिशत 13.63 प्रतिशत है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में अकृषित भूमि का विकासखण्ड स्तर पर वितरण प्रतिरूप एवं श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करना है।

**Corresponding Author:****डॉ. शेषमणि विश्वकर्मा**

सह्यक प्रोफेसर., भूगोल सी.जी.  
एन.(पी.जी.) कॉलेज, गोला  
गोकर्णनाथ, खीरी, उत्तर प्रदेश,  
भारत

इसके साथ ही उन कारकों का भी अध्ययन करना है, जिसके कारण अध्ययन क्षेत्र में अकृषित भूमि का क्षेत्र प्रभावित होती है। अन्त में अकृषित भूमि के सम्बन्ध में निष्कर्ष भी प्रस्तुत करना है।

### ऑकड़ा स्रोत

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में अकृषित भूमि के वितरण प्रतिरूप के ऑकलन हेतु सांख्यिकीय पत्रिका महाराजगंज जनपद वर्ष 1995 एवं 2015 का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पुस्तकों एवं शोध प्रबन्धों के अध्ययन द्वारा भी ऑकड़ों का संकलन किया गया है। अकृष्य भूमि के प्रतिशत की गणना प्रतिवेदित क्षेत्र के आधार पर किया गया है। ऑकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है। ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

### अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता

अध्ययन क्षेत्र उ०प्र० के तराई में उत्तर दिशा में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार 26° 53' उत्तरी अक्षांश से 27° 26' उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरिय विस्तार 83° 6' पूर्वी देशान्तर से 83° 26' पूर्वी देशान्तर है। महाराजगंज जनपद के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है, जनपद की पूर्वी सीमा कुशीनगर, पश्चिमी सीमा सिद्धार्थनगर तथा दक्षिणी सीमा गोरखपुर जनपद द्वारा निर्धारित होती है। इसके उत्तरी-पूर्वी भाग में बिहार राज्य स्थित है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु मानसूनी, पतझड़ वन एवं मृदा दोमट है। छोटी गण्डक, रोहिन, घोघी आदि यहाँ की प्रमुख

नदियाँ हैं। इसका क्षेत्रफल 2952 वर्ग किमी. है, जो उ०प्र० का 1.21 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र को 4 तहसीलों (महाराजगंज, नौतनवां, फरेंदा, निचलौल) एवं 12 विकासखण्डों (नौतनवां, निचलौल, लक्ष्मीपुर, मिठौरा, सिसवां, बृजमनगंज, महाराजगंज, घुघुली, पनियरा, परतावल, धानी एवं फरेंदा) में विभक्त किया गया है। यहाँ सात नगरीय क्षेत्र हैं, जिसमें महाराजगंज एवं नौतनवां नगरपालिका तथा घुघुली, सिसवां, निचलौल, आनन्द नगर, व सोनौली नगर पंचायत क्षेत्र हैं। यहाँ कुल न्याय पंचायतों की संख्या 102 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 1201 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2677212 है। यहाँ प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या 943 है। प्रति वर्ग किमी. में 910 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता का प्रतिशत 62.8 तथा 5.02 प्रतिशत लोग नगरो में रहते हैं।

### अकृष्य भूमि का वितरण प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र में अकृष्य भूमि के प्रतिशत का ऑकलन प्रतिवेदित क्षेत्र के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1995 एवं 2015 के मध्य हुए अकृष्य भूमि में परिवर्तन का भी ऑकलन किया गया है। तालिका-1.01 के द्वारा अध्ययन क्षेत्र के अकृष्य भूमि के वितरण प्रतिरूप के बारे में जानकारी मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र पर अकृष्य भूमि का प्रतिशत 10.60 (28882 हे.) था, जो बढ़कर 2015 में 11.42 प्रतिशत (33168 हे.) हो गया। इस प्रकार उक्त 20 वर्षों में 14.84 प्रतिशत (4286 हे.) की वृद्धि

तालिका 1.01: जनपद महाराजगंज: अकृष्य भूमि का वितरण-1995-2015

विकासखण्ड	प्रतिवेदित क्षेत्र हे.में		अकृष्य भूमि हे. में		अकृष्य भूमि प्रतिशत में		परिवर्तन 1995-2015	
	1995	2015	1995	2015	1995	2015	शुद्ध हे.	प्रतिशत
नौतनवां	36145	27661	3044	3723	8.42	13.45	679	22.30
लक्ष्मीपुर	29626	30029	2504	2991	8.45	9.96	487	19.44
निचलौल	31920	35937	3989	4021	12.49	11.18	32	0.80
मिठौरा	23815	27777	42529	2640	10.61	9.50	111	4.38
सिसवां	20149	22384	2336	2527	11.59	11.28	191	8.17
बृजमनगंज	20320	24555	1965	2191	9.67	8.92	226	11.50
महाराजगंज	21546	22880	2620	2900	12.16	12.67	280	10.68
घुघुली	18987	20768	2441	2721	12.85	13.10	280	11.47
पनियरा	21546	25205	2839	3153	13.17	12.50	314	11.06
परतावल	19239	22431	2055	2400	10.68	10.69	345	16.78
धानी	7281	9120	955	1632	13.11	17.89	677	70.89
फरेंदा	21682	21695	1605	2269	7.40	10.45	664	41.37
योग	272256	290442	28882	33168	10.60	11.42	4286	14.84

स्रोत-सांख्यिकीय पत्रिका जनपद महाराजगंज - (1995-2015)

विकासखण्ड स्तर पर देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 में अध्ययन क्षेत्र में जनपद औसत (11.42 प्रतिशत) से अधिक पाँच विकासखण्डों में तथा औसत से कम सात विकासखण्डों में अकृष्य भूमि मिलती हैं। सर्वाधिक अकृष्य भूमि धानी में 17.89 प्रतिशत तथा सबसे कम बृजमनगंज में 8.92 प्रतिशत भूमि मिलती है। वर्ष 1995 में सर्वाधिक अकृष्य भूमि पनियरा में 13.17 प्रतिशत

तथा सबसे कम फरेंदा में 7.40 प्रतिशत मिलती थी। जनपद औसत से अधिक विकासखण्डों में तथा औसत से कम विकासखण्डों में अकृष्य भूमि मिलती थी।

### अकृष्य भूमि का श्रेणीगत वितरण -

तालिका 1.02: जनपद महाराजगंज: अकृष्य भूमि का श्रेणीगत वितरण – (1995–2015)

श्रेणी	अकृष्य भूमि (प्रतिशत में)	विकासखण्डों की संख्या		विकासखण्डों का प्रतिशत	
		1995	2015	1995	2015
अतिउच्च	14 से अधिक	0	1	0.00	8.33
उच्च	12 – 14	5	4	41.65	33.32
मध्यम	10 – 12	3	4	24.99	33.32
निम्न	8 – 10	3	3	24.99	24.99
अतिनिम्न	8 से कम	1	0	8.33	0.00
	कुल अकृष्य भूमि	28882 हे०	33168 हे०	10.60	11.42

स्रोत- सांख्यिकीय पत्रिका जनपद महाराजगंज – (1995–2015)

तालिका – 1.02 से स्पष्ट होता है कि अति उच्च श्रेणी के अन्तर्गत एक विकासखण्ड धानी आता है, जहां में 14 प्रतिशत से अधिक अकृष्य भूमि मिलती (17.89 प्रतिशत) है। चार विकासखण्डों में 12–14 प्रतिशत अकृष्य भूमि मिलती है, जिसमें नौतनवां में 13.45 प्रतिशत, महाराजगंज में 12.67 प्रतिशत, घुघुली में 13.10 प्रतिशत तथा पनियरा में 12.50 प्रतिशत अकृष्य भूमि है। चार विकासखण्डों में 10–12 प्रतिशत अकृष्य भूमि है, इसके अन्तर्गत निचलौल (11.18 प्रतिशत), सिसवां (11.28 प्रतिशत), परतावल (10.09 प्रतिशत) तथा फरेन्दा (10.95 प्रतिशत) सम्मिलित हैं। तीन विकासखण्डों में 8–10 प्रतिशत अकृष्य भूमि मिलती है, जिसके अन्तर्गत बृजमनगंज (8.92 प्रतिशत), लक्ष्मीपुर (9.96 प्रतिशत) तथा मिठौरा (9.50 प्रतिशत) आते हैं। 8 प्रतिशत से कम किसी भी विकासखण्ड में अकृष्य भूमि नहीं पायी जाती है। वर्ष 1995 में अकृष्य भूमि का प्रतिशत 10.60 था। विकासखण्ड स्तर पर पनियरा में 13.17 प्रतिशत सर्वाधिक तथा फरेन्दा में 7.40 प्रतिशत सबसे कम अकृष्य भूमि थी। पाँच विकासखण्डों में 12–14 प्रतिशत अकृष्य भूमि थी, वहीं सात विकासखण्डों में 10 प्रतिशत से कम अकृष्य भूमि थी।

अध्ययन क्षेत्र के जिन भागों में उच्च अकृष्य भूमि पायी जाती है, उन भागों में नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे के निर्माण हो जाने बड़े पैमाने पर लोग सड़को के किनारे मकानों का निर्माण किया है। घुघुली में नहरों की सघनता, रेलवे लाइन चीनी मिल आदि होने के कारण अकृष्य भूमि की अधिकता है। महाराजगंज स्वयं जिला मुख्यालय है, यहां सड़को मकानों, कार्यालयों, स्कूलों आदि की अधिकता के कारण अकृष्य भूमि अधिक मिलती है। नौतनवां तहसील है साथ ही नगरपालिका भी है, जिससे यहां अकृष्य भूमि अधिक मिलती है। बृजमनगंज एवं लक्ष्मीपुर में अकृष्य भूमि कम मिलने का प्रमुख कारण वन क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का होना है, जिसके कारण सड़को, मकानों एवं नहरों का निर्माण बहुत कम हो सका है।

#### परिवर्तन – (1995–2015)

अध्ययन क्षेत्र में 1995–2015 के मध्य अकृष्य भूमि में परिवर्तन की प्रवृत्ति रही है। 1995 में अकृष्य भूमि 2882 हेक्टेयर (10.60 प्रतिशत) थी, जो 2015 में बढ़कर 33168 हेक्टेयर (11.42 प्रतिशत) हो गयी। इस प्रकार 1995–2015 के मध्य 20 वर्षों में इसमें 4286 हेक्टेयर (14.84 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई। इस अवधि के मध्य सर्वाधिक वृद्धि धानी विकासखण्ड में 70.89 प्रतिशत तथा सबसे कम निचलौल विकासखण्ड में 0.80 प्रतिशत रहा है। पाँच विकासखण्ड जनपद औसत (14.04 प्रतिशत) से अधिक अकृष्य भूमि में वृद्धि दर्ज की गयी है, जबकि 7 विकासखण्ड जनपद औसत से कम वृद्धि दर्ज कर पाये हैं। अकृष्य भूमि में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नौतनवां (22.30 प्रतिशत), धानी (70.89 प्रतिशत) तथा फरेन्दा (41.37 प्रतिशत) में रहा। लक्ष्मीपुर एवं परतावल में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चार विकासखण्डों बृजमनगंज, महाराजगंज, घुघुली तथा पनियरा

में 10–15 प्रतिशत अकृष्य भूमि में वृद्धि हुई। 10 प्रतिशत से कम वृद्धि निचलौल, मिठौरा तथा सिसवां विकासखण्डों में हुआ है।

#### निष्कर्ष

1. आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में अकृष्य भूमि के क्षेत्रफल में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।
2. अध्ययन क्षेत्र का जैसे-जैसे विकास हो रहा है, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में वृद्धि हो रही है, जिससे अकृष्य भूमि बढ़ती जा रही है।
3. जनसंख्या वृद्धि के कारण तेजी से गृह निर्माण, एवं सड़क निर्माण हो रहा है, जिसके कारण अकृष्य भूमि बढ़ती जा रही है।
4. नगरों के विस्तार एवं नये क्षेत्रों को नगर घोषित किये जाने से कृषिगत भूमि का ह्रास एवं अकृष्य भूमि में वृद्धि हो रही है।
5. जिन क्षेत्रों में नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे एवं जिला सड़को का निर्माण हुआ है, वहाँ इन सड़कों के किनारे स्थित कृषिगत भूमि तेजी से अकृष्य क्षेत्र (मकान, दुकान आदि) में बदल रहा है।

#### सन्दर्भ

1. लीलावती (2001): गण्डक नहर क्षेत्र (उ०प्र०) में आर्द्र भूमि स्वरूप एवं प्रबन्धन, शोध प्रबन्ध, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर पृ० 84–85।
2. तिवारी, आर.सी. एवं सिंह, बी.एन. (2010): कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ० 295
3. बंसल, सुरेश चन्द (2012): भारत का बृहत् भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन, बेगम ब्रिज, मेरठ पृ० 262
4. जिला सांख्यिकीय पत्रिका जनपद महाराजगंज 1995–2015
5. विश्वकर्मा, एस० एम० (2019) : महाराजगंज जनपद (उ०प्र०) में कृषि व्यापारीकरण एक भौगोलिक अध्ययन, शोध प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, पृ० 120-122।